24–पंचायती राज विभाग

संवर्गः 1– कर/राजस्व निरीक्षक संवर्ग

2– कर/राजस्व समाहर्ता संवर्ग

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के पत्र संख्या 19/XXVii(7)50(16), दिनांक 07 सितम्बर, 2016 के क्रम संख्या–1 के माध्यम से पंचायतीराज विभाग (जिला पंचायत) के कर/राजस्व निरीक्षक पद का वेतनमान रु0 5200–20200, ग्रेड वेतन रु0 2000 से रु0 2800 किये जाने तथा कर/राजस्व समाहर्ता पद का वेतनमान रु0 5200–20200 ग्रेड वेतन रु0 1800 से रु0 2000 किये जाने का प्रकरण समिति को सन्दर्भित किया गया है।

यह कहा गया है कि जिला पंचायत कर्मचारी संघ द्वारा राज्य सरकार में मनोरंजन कर निरीक्षण श्रेणी–2 के समकक्ष वेतनमान व ग्रेड वेतन की मॉग की गयी है। विभागीय संस्तुति में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार में मनोरंजन कर निरीक्षण श्रेणी–2 पद का वेतनमान रु0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतनमान रु0 5200–20200 ग्रेड वेतन रु0 2800) स्वीकृत है तथा कि रिट याचिका संख्या 100/13(एस0एस0) में मा0 उच्च नयालय के आदेश दिनांक 19.02.2013 के अनुपालन में शासन के आदेश संख्या 1932/XII/2013/90(07)/2010 टी0सी0, दिनांक 23.07.2013 द्वारा याचियों का प्रत्यावेदन निस्तारित किया है जिसमें जिला पंचायतों के कर निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक तथा राज्य सरकार के मनोरंजन कर निरीक्षक श्रेणी–2 के पदों में समानता नहीं होना माना गया है। यह कहा गया है कि जिला पंचायतों के कर/राजस्व निरीक्षक का ग्रेड वेतन पूर्व में मिनीस्टीरियल संवर्ग में वरिष्ठ सहायक पद के ग्रेड वेतन रु0 2000 के बराबर था और कि शासन द्वारा वरिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन उच्चीकृत कर रु0 2800 कर दिया गया है। अतः इस संवर्ग का ग्रेड वेतन रु0 2800 किये जाने पर बल होना कहा गया है।

जिला पंचायतों में कर/राजस्व समाहर्ता पद का वेतनमान रु0 5200–20200 ग्रेड वेतन रु0 1800 बताया है एवं कहा है कि जिला पंचायत कर्मचारी संघ द्वारा राजस्व विभाग के संग्रह अमीन के पद के समकक्ष वेतन की मॉग की गयी है। इस सम्बन्ध में विभागीय संस्तुति में इंगित किया है कि राजस्व विभाग के संग्रह अमीन पद का वेतनमान रु0 5200–20200 ग्रेड वेतन रु0 2000 है तथा कि रिट याचिका 101/13(एस0एस0) में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2013 के अनुपालन में शासन के आदेश संख्या 2080/XII/2013/90(7)/ 2010 टी0सी0–1, दिनांक 23.07.2013 द्वारा याचियों का प्रत्यावेतन निस्तारित किया है जिसमें उल्लेख किया है कि जिला पंचायतों के कर निरीक्षक/राजस्व समाहर्ता एवं राजस्व विभाग के संग्रह अमीन के पदों में कोई समानता नहीं है। यह कहा है कि जिला पंचायत के कर/राजस्व समाहर्ता राजस्व विभाग के संग्रह अमीन पद की शैक्षिक अर्हता में समानता नहीं है। यह कहा है कि जिला पंचायत सेवा (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली 1984 में कर/राजस्व समाहर्ता पद की शैक्षिक योग्यता का स्तम्भ रिक्त है एवं कि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग पाउण्ड कीपर की शैक्षिक योग्यता को संशोधित कर

हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट किया गया है। इस आधार पर वर्णित संवर्ग का ग्रेड वेतन रू0 2000 किये जाने का प्रकरण प्रेषित किया गया है।

इन दोनों प्रकरणों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् द्वारा भी समिति को सन्दर्भित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना का आधार समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य में लागू सिद्धान्त के कम में मान्य नहीं है। साथ ही, शैक्षिक योग्यता मात्र के आधार पर वेतन की समकक्षता की मॉग का भी औचित्य नहीं है। वर्णित दोनों प्रकरण वेतन उच्चीकरण से सम्बन्धित हैं, अतः विचारणीय नहीं हैं। पौण्ड कीपर पद से प्रोन्नति का पद होने की इंगित व्यवस्था के दृष्टिगत कर/राजस्व समाहर्ता के ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की मॉग तर्कपूर्ण प्रतीत होती है। सभी पहलुओं व पड़ने वाले प्रभावों (implications) का सम्यक् परीक्षण करते हुए कर राजस्व समाहर्ता पद की अर्हता व वेतन/ग्रेड वेतन उच्चीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

संवर्ग : कर अधिकारी

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा जिला पंचायतों में कार्यरत कर अधिकारी पद का ग्रेड वेतन रू0 4200 से रू0 4600 करने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अवगत कराया गया कि जिला पंचायतों में कार्यरत कर अधिकारियों के वेतन बैण्ड 9300–34800 में ग्रेड वेतन 4200 दिया जा रहा है जबकि जिला पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारियों को समान वेतन बैण्ड में ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया गया है।

समता समिति द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार व सरकार द्वारा लागू एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना/समतुल्यता नहीं है, जिस कारण यह प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)

उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम पं0 अधि0) एसोसिएशन द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संवर्ग का ग्रेड वेतन रू0 2800 से रू0 4200 उच्चीकृत करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अवगत कराया गया है कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संवर्ग से शत प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है। यह भी कहा है कि समूह 'ख' के जिला पंचायत राज अधिकारी पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी पंचायत से की जाने की व्यवस्था है। साथ ही यह और कहा है कि सहकारिता विभाग में सहायक विकास अधिकारी सहकारिता एवं राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक, पशुपालन व सांख्यिकी विभाग में कतिपय संवर्गों के ग्रेड वेतन पे बैण्ड–2 में रू0 4200 में उच्चीकृत हो चुके हैं।

प्रत्यावेदन के इंगित मांग सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का वेतन उच्चीकरण से सम्बन्धित है और इस हेतु अन्य संवर्ग के पदों से तुलना इंगित की गई है। समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं शासन द्वारा लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग/पद की तुलना/समतुल्यता दूसरे संवर्ग/पद से नहीं होती है। प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं अपितु वेतनमान उच्चीकरण का है, अतः विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (ग्राम पं0 अधि0) एसोसिएशन, द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संवर्ग का ग्रेड वेतन रू0 2400 से रू0 2800 में उच्चीकृत करने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है। अवगत कराया गया है कि इस संवर्ग की शैक्षिक योग्यता स्नातक करने हेतु सेवा नियमावली में संशोधन प्रख्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कि राजस्व विभाग में ऐसी व्यवस्था लेखपाल हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक किये जाने के उपरान्त ग्रेड वेतन 1900 से उच्चीकृत करते हुए 2800 किया गया है। यह भी कहा है कि युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 का वेतनमान भी पांचवें वेतन आयोग के समय उच्चीकृत किया जाने तथा अन्य विभागों यथा आपूर्ति विभाग, पशुपालन आदि विभागों में भी समय–समय पर वेतनमानों में संशोधन/उच्चीकरण किया गया है।

विभाग से प्रारूप पर तैयार की गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती/चयन प्रक्रिया एवं शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट व कम्प्यूटर उपयोग का सामान्य ज्ञान है। इस पद के वेतन उच्चीकरण के लिए लेखपाल पद से तुलना की गई है।

यह प्रकरण पद विशेष की भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता सहित वेतनमान उच्चीकरण का है न कि वेतन विसंगति का। उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं सरकार द्वारा लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग/पद की तुलना/समतुल्यता दूसरे संवर्ग/पद से नहीं की जा सकती है। तदानुसार यह प्रकरण विचारणीय नहीं है।

25–नियोजन विभाग

संवर्ग : विभिन्न संवर्ग

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के पत्र संख्या 152/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 15 जुलाई, 2016 के माध्यम नियोजन विभाग में निम्नलिखित पदों के वेतन उच्चीकरण के प्रकरण वेतन विसंगति से सम्बन्धित लंबित प्रकरण इंगित कर संदिर्भत किये गये हैं :–

(अ) **लिपिक संवर्ग :–**

पदनाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
अनुभाग अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400
समीक्षा अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4800
सहायक समीक्षा अधिकारी	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
कम्प्यूटर टाइपिस्ट	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400

(ब) **निजी सचिव संवर्ग :–**

पदनाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
निजी सचिव	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400
अपर निजी सचिव	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	15600–39100 ग्रेड वेतन 4800

(स) **लेखा संवर्ग :–**

पदनाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
लेखाकार/कोषाध्यक्ष	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
सहायक लेखाकार	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800

(द) **अन्य संवर्ग :–**

पदनाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
पुस्तकालयध्यक्ष	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4800

कम्प्यूटर प्रोग्रामर	अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4800

वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में यह आधार इंगित किया गया है कि दिनांक 03 जून, 2005 में राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड का संगठनात्मक ढांचा अंतर्गत सृजित पदों का वेतनमान पंचम वेतन आयोग में उत्तराखण्ड सचिवालय के समरूप थे एवं कि वर्तमान में छठे वेतन आयोग में सचिवालय के वेतन संशोधित कर दिये गये हैं, परन्तु राज्य योजना आयोग में संशोधन अभी नहीं हुए हैं और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सचिवालय से समकक्षता (Parity) समता समिति द्वारा केवल कतिपय मामलों में ही स्थापित की है और राज्य योजना आयोग की सचिवालय से समकक्षता स्थापित/मान्य नहीं की गई है। अतः जिन संवर्गो की सचिवालय से समकक्षता की मांग की गयी है वह प्रकरण विचारणीय नहीं है। लेखा संवर्ग की समता केन्द्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग से है, अतः लेखाकार/कोषाध्यक्ष पद का पदनाम लेखा संवर्ग के अनुसार लेखाकार किये जाने तथा सहायक लेखाकार को वेतनमान ग्रेड पे 2800 किये जाने की संस्तुति की जाती है। पुस्तकालयध्यक्ष पद का वेतनमान उच्चीकरण का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है, वैसे भी वेतनमान उच्चीकरण का प्रकरण समिति के विचार क्षेत्र में नहीं है। कम्प्यूटर प्रोग्रामर का पद अपुनरीक्षित वेतनमान में 6500–10500 का इंगित किया गया है। वित्त विभाग अनुभाग–7 से जारी शासनादेश क्रमशः संख्या 483, दिनांक 12 मार्च, 2010, सख्या 861, दिनांक 08 मार्च, 2011 एवं संख्या 67, 13 अप्रैल, 2012 के अंतर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 का पुनरीक्षण ग्रेड वेतन 4600 में करने के सामान्य निर्देश निर्गत हुए हैं, अतः इसके आलोक में राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है।

26–पुलिस

संवर्ग : पुलिस संचार विभाग के राजपत्रित अधिकारी संवर्ग

पुलिस संचार विभाग के राजपत्रित अधिकारी संवर्ग का पुनर्गठन का प्रस्ताव समिति को संदर्भित किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रान्तीय पुलिस सेवा एसोसिएशन उत्तराखण्ड के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग एवं केन्द्रीय पुलिस बलों की संरचना के अनुरूप उत्तराखण्ड में राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमान पुनर्गठन का प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया है। यह कहा गया कि उत्तराखण्ड में पुलिस संचार विभाग का ढांचा शासनादेश सख्या 40, दिनांक 24.10.2012 द्वारा स्वीकृत हुआ था परन्तु सेवा नियमावली नहीं बनी बल्कि उ0प्र0 रेडियो सेवा नियमावली 1979 ही अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड में प्रभावी है। उ0प्र0 में शासनादेश सख्या 1311, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 के द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमान का पुनर्गठन एवं पुनरीक्षण किया गया इंगित किया है। इस क्रम में उत्तराखण्ड में निम्नानुसार उत्तराखण्ड पुलिस संचार विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के संवग का पुनर्गठन करने की संस्तुति महानिदेशक पुलिस द्वारा की गई है :–

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	वर्तमान स्थिति (शासनादेश दिनांक 24.10. 2012)
1.	उप महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार	01	37400–67000 ग्रेड वेतन 8900	16400–20000 (37300–67000 ग्रेड वेतन 8900)
2.	राज्य रेडियो अधिकारी	02	37400–67000 ग्रेड वेतन 8700	12000–16500 (37300–67000 ग्रेड वेतन 7600)
3.	अपर राज्य रेडियो अधिकारी	06	15600–39100 ग्रेड वेतन 7600	10000–15200 (15600–39100 ग्रेड वेतन 6600)
4.	सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)	समयबद्ध	15600–39100 ग्रेड वेतन 6600	8000–13500 (15600–39100 ग्रेड वेतन 5400)
5.	सहायक रेडियो अधिकारी	09	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 की भांति रेडियो अनुरक्षण अधिकारी एवं रेडियो केन्द्र अधिकारी के पदों को संविलीन कर नया पदनाम रेडियो उपनिरीक्षक किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि शासनादेश दिनांक 27.7.2015 द्वारा उपनिरीक्षक संवर्ग के ग्रेड वेतन 4200 से 4600 कर दिया गया है तथा कि पुलिस संचार में रेडियो अनुरक्षण अधिकारी व रेडियो केंद्र प्रभारी पदों को उपनिरीक्षक संवर्ग का बताया है और इन पदों का वर्दी

कोड उपनिरीक्षक के समान बताया है व प्रशिक्षण/कार्य की प्रकृति भी समान होना कहा है और इन दोनों पदों का ग्रेड वेतन 4600 बताया गया है।

उक्त के अतिरिक्त प्रधान परिचालक, पुलिस संचार विभाग का वेतनमान उ0प्र0 में 5400 (वेतनबैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में तृतीय ए0सी0पी0 ग्रेड वेतन 5400) होना व उत्तराखण्ड में तृतीय ए0सी0पी0 ग्रेड वेतन 4800 होने की स्थिति इंगित करते हुए तृतीय ए0सी0पी0 में ग्रेड वेतन 5400 स्वीकृत किये जाने का प्रकरण प्रस्तुत किया है। यह भी इंगित किया है कि इस सम्बन्ध में प्रधान परिचालकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। इस सम्बन्ध में यह भी इंगित किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में धारित पद से तीन ए0सी0पी0 दिये जाने की व्यवस्था है जिस कारण प्रधान परिचालक ग्रेड वेतन 4200 से प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड वेतन 4600, द्वितीय ए0सी0पी0 ग्रेड वेतन 4800 व तृतीय ए0सी0पी0 ग्रेड वेतन 5400 अनुमन्य किया जाता है जबकि उत्तराखण्ड में मौलिक पद से तीन पदोन्नति (ए0सी0पी0) दिये जाने की व्यवस्था है जिससे सहायक परिचालक वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 से प्रथम ए0सी0पी0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200, द्वितीय ए0सी0पी0 ग्रेड वेतन 4600 तथा तृतीय ए0सी0पी0 ग्रेड वेतन 4800 अनुमन्य है।

प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचारण किया गया। अन्य राज्य से तुलना का सिद्धान्त राज्य में मान्य नहीं है जैसा कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के पत्र 200 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से भी पुष्टि की गई है। यह प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है बल्कि वेतन उच्चीकरण व ढांचा पुनर्गठन से सम्बन्धित है। कतिपय मामलों में उ0प्र0 के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में भी वेतन उच्चीकरण आदि की कार्यवाही होना समिति के संज्ञान में आया है। इस दृष्टि से किसी प्रकरण विशेष में उठाई गई मांग का विषय प्रशासनिक व्यवस्था/नीति से सम्बन्धित बिन्दु है जिसके दृष्टिगत इस प्रकरण पर राज्य सरकार के स्तर पर ही सम्यक विचार किया जाना होगा। मौलिक पद के बजाय धारित पद से ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किये जाने का बिन्दु भी नीतिगत बिन्दु है। ए0सी0पी0 में वर्तमान में मौलिक पद के आधार पर ए0सी0पी0 अनुमन्यता लागू है जिसके केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समिति द्वारा पृथक से संस्तुति की गई है। मौलिक पद के आधार पर ए0सी0पी0 की अनुमन्यता में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

संवर्ग : पुलिस लिपिक संवर्ग

कान्सटेबल (एम) सम्प्रति नवीन पदनाम ए0एस0आई0 (एम0) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती व सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के मध्य वेतन भिन्नता का निराकरण करने सम्बन्धित इस प्रकरण में कहा गया है कि शासनादेश संख्या 311, दिनांक 30.11.2015 व्यवस्थान्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में भर्ती का0स0 (एम) वैतनिक शिशुक्षु सम्प्रति नवीन पदनाम ए0एस0आई0 (एम) के पद पर नियुक्त कार्मिक की सेवा भर्ती की तिथि से आगणित किये जाने और इस कारण इन कार्मिकों को भर्ती की तिथि से नियमित वेतनमान एवं समान

वेतनमान/ए0सी0पी0 लाभ प्राप्त होने की स्थिति के सापेक्ष सीधी भर्ती एवं चतुर्थ श्रेणी से चयन माध्यम पदोन्नत वैतनिक शिशुक्षु/का0स0 (एम) नियत वेतनमान 3050 पर ही वर्षों से सेवारत रहने के कारण इस लाभ से वंचित रह गये हैं तथा सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ कर्मी मृतक आश्रित से रू0 2000 से 3000 कम मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अतः का0स0 (एम) नवीन पदनाम ए0एस0आई0 (एम) को भर्ती की तिथि से वेतनमान 4000–6000 (5200–20200 ग्रेड वेतन 2800) समान रूप से अनुमन्य किये जाने का औचित्य होना इंगित किया गया है।

इस सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखण्ड के सचिव गृह, उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित पत्र संख्या डीजी–सात–78 (4) 2013,दिनांक 01 जून, 2016 की उपलब्ध की गई छायाप्रति के अवलोकन से इंगित होता है कि कदाचित शासनादेश दिनांक 30.11.2015 मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं के दृष्टिगत निर्गत किया गया हो। चूंकि प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति/विवरण उपलब्ध नहीं है अतः इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। वैसे भी यह प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर भर्ती व्यवस्था व अनुमन्य वेतन के नियम से सम्बन्धित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर ही परीक्षण/विचार कर कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचारणीय प्रकरण नहीं है।

संवर्ग :पुलिस लिपिक संवर्ग

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के माध्यम पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एम) के वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन का प्रकरण समिति को संदर्भित किया गया है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर विभाग में लिपिक संवर्ग का वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को ग्रेड वेतन 4200 (मुख्य सहायक) अनुमन्य किया गया है एवं सहायक उप निरीक्षक (एम) की तुलना पुलिस संचार सेवा के प्रधान परिचालक के वेतनमान से भी करते हुए समान वर्दी व अलंकरण धारण करने के आधार पर तथा पांचवें वेतनमान से पूर्व प्रधान परिचालक व सहायक उपनिरीक्षक (एम) का वेतनमान रू0 4000–6000 समान होने और अब प्रधान परिचालक का वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 होने के आधार पर सहायक उप निरीक्षक (एम) वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकरण किया गया है।

यह अवलोकनीय है कि वार्ता के समय पुलिस विभाग में लिपिक संवर्ग व अन्य विभाग में लिपिक संवर्ग में निम्नानुसार व्यवस्था विद्यमान बताई गई है :–

पुलिस विभाग	अन्य विभाग
सिपाही (एम) ग्रेड वेतन 2000	कनिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन 2000
सहायक उप निरीक्षक (एम) ग्रेड वेतन 2800	वरिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन 2800
उपनिरीक्षक (एम) ग्रेड वेतन 4600	प्रधान सहायक ग्रेड वेतन 4200
निरीक्षक (एम) ग्रेड वेतन 4800	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड वेतन 4600

उप पुलिस अधीक्षक (एम) ग्रेड वेतन 5400	व0 प्रशा0 अधिकारी ग्रेड वेतन 4800
	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड वेतन 5400

उक्तानुसार पुलिस लिपिक संवर्ग में पांच स्तर हैं जबकि अन्य विभागों के लिपिक संवर्ग में छः स्तर हैं जिस कारण एक स्तर के अंतर की स्थिति है। उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है और प्रस्तावित प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण से सम्बन्धित है, अतः यह प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : चतुर्थ श्रेणी

चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1800 इंगित करते हुए उद्यान विभाग/राज्य निर्वाचन आयोग/चिकित्सा विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 26 वर्ष में वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति इंगित कर पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को भी 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 का लाभ अनुमन्य करने का औचित्य होना कहा है। यह कहा है कि वर्तमान में पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को 10 वर्ष पर ग्रेड वेतन 1900, 16 वर्ष पर ग्रेड वेतन 2400 (2000 इग्नोर होने के कारण) तथा 26 वर्ष में ग्रेड वेतन 2800 का ही लाभ अनुमन्य हो रहा है।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में कोई पुष्टि अभिलेख उपलब्ध नहीं कारायें गये हैं, जिससे स्पष्ट हो सके कि उद्यान विभाग/राज्य निर्वाचन आयोग/चिकित्सा विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को ए0सी0पी0 में 26 वर्ष में वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 का लाभ अनुमन्य हुआ है। कदाचित उक्त इंगित स्थिति ग्रेड वेतन 4800 या उससे न्यून पाने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है वहां पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में एवं जहां पदोन्नति पद नहीं है वहां अगला ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से दिये जाने की व्यवस्था के कारण हो सकती है। इस स्थिति में एवं अन्यथा भी यह वेतन विसंगति का प्रकरण नहीं है बल्कि ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में अपनाये गये सिद्धान्त से उत्पन्न स्थिति का है, जिस सम्बन्ध में पृथक से समिति द्वारा संस्तुति की गई है।

27–युवा कल्याण विभाग

संवर्ग : व्यायाम प्रशिक्षक

उत्तराखण्ड युवा कल्याण व्यायाम प्रशिक्षक संघ, देहरादून द्वारा युवा कल्याण विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 के स्थान पर वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200/4600 में उच्चीकृत किये जाने की मांग की गई है। इस संदर्भ में उनके द्वारा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में व्यायाम शिक्षकों को दिये जा रहे ग्रेड वेतन 4200 का शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 2013 संदर्भित किया गया है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन में टी0जी0टी0–पी0 एण्ड एच0ई0 के पद पर प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन रू0 4600 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में शारीरिक शिक्षक को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन 4600 से तुलना की गई है।

युवा कल्याण विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक का पद सीधी भर्ती से भरा जाता है तथा इसकी शैक्षिक योग्यता शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण एवं व्यायाम विशारद का डिप्लोमा है तथा कार्य एवं दायित्व के रूप में ग्रामीण खेल–कूद गतिविधि का संचालन एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में टी0जी0टी0–पी0 एण्ड एच0ई0 की शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं बी0पी0एड0 है। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी शारीरिक शिक्षक की योग्यता स्नातक एवं बी0पी0एड0 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 110 दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा व्यायाम प्रशिक्षक संवर्ग की भर्ती/पदोन्नति की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए ग्रेड वेतन 4200 अनुमन्य किया गया है एवं शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं बी0पी0एड0 है। कदाचित व्यायाम प्रशिक्षक से जिला युवा कल्याण अधिकारी (ग्रेड वेतन 4600) पद पर भी पदोन्नति की व्यवस्था है, अतः व्यायाम प्रशिक्षक के वेतन उच्चीकरण का प्रभाव अन्य उच्च पदों पर भी होगा।

व्यायाम प्रशिक्षक के विभाग में 13 पद सृजित हैं। प्रभारी सचिव, युवा कल्याण द्वारा अपने पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2016 जो अध्यक्ष, वेतन समिति सम्बोधित है, के प्रस्तर 2(3) में यह अवगत कराया गया है कि व्यायाम प्रशिक्षक पद की शैक्षिक अर्हता सुसंगत सेवा नियमावली में संशोधित करते हुए स्नातक एवं बी0पी0एड0 रखने की कार्यवाही की जा रही है एवं व्यायाम प्रशिक्षक तथा पी0टी0आई0 शिक्षा विभाग दोनों के कार्य एवं दायित्व एक समान हैं। अतः पी0टी0आई0 शिक्षा विभाग की भांति व्यायाम प्रशिक्षक पद का वेतनमान जो वर्तमान में वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 है, को संशोधित करते हुए वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4600 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

" वर्तमान में व्यायाम प्रशिक्षक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट एवं व्यायाम विशारद का डिप्लोमा है जबकि पी0टी0आई0 शिक्षा विभाग में स्नातक एवं बी0पी0एड0 है। व्यायाम प्रशिक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। यद्यपि समता समिति के मूलभूत सिद्वान्त में एक राज्य के संवर्ग विशेष के वेतनमानों की दूसरे राज्य के समकक्ष संवर्ग के वेतनमानों से समतुल्यता तथा एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से इन्टर से पैरिटी का सिद्वान्त मान्य नही है, तथापि समिति के सज्ञान में कतिपय सवंर्गों

के वेतनमान समतुल्यता के सिद्वान्त पर उत्तर प्रदेश के आधार पर उच्चीकृत किये जाने के दृष्टांत हैं। अतः राज्य सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश में लिए गये निर्णयों को उत्तराखण्ड में लागू करने पर, पड़ने वाले प्रभावों का समुचित आकलन करके एकरूप मानक नीति बनाकर सापेक्षता/समतुल्यता के सिद्वान्त पर विचार कर सकती है।"

संवर्ग :क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तथा जिला कल्याण अधिकारी

प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड द्वारा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 2800 से रू0 4600 करने तथा जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 4600 से रू0 5400 करने की मांग की है। मांग के सम्बन्ध में कहा गया कि इन पदों का वेतन काफी निराशाजनक है और कि पूल्ड प्लानिंग के अंतर्गत ज्यादातर क्षेत्र स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की वेतन विसंगति शासन द्वारा दूर की जा चुकी है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अंतर्गत इन अधिकारियों को भी पूल्ड प्लानिंग के अन्य अधिकारियों की भांति उच्च ग्रेड वेतन दिया जाना आवश्यक बताया है। इन पदों को वर्दीधारी पद बताते हुए पदधारकों को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होना कहा है और इनका स्तर वर्दीधारी सुरक्षा बलों के समतुल्य होना इंगित किया है। संघ के प्रतिनिधियों द्वारा वार्ता के दौरान इन पदों की तुलना होमगार्ड व पुलिस विभाग से की गई।

इस सम्बन्ध में यह अवलोकनीय है कि वर्णित मांग मात्र उच्चीकरण सम्बन्धी है न कि वेतन विसंगति की। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से समतुल्यता का सिद्धान्त मान्य/लागू नहीं है। अतः यह प्रकरण वेतन विसंगति के रूप में विचारणीय नहीं है।

28–कारागार विभाग

संवर्ग : बंदीरक्षक/प्रधान बंदीरक्षक/उपकारापाल/कारापाल

कारागार विभाग ने वित्त अनुभाग–7 के माध्यम से तथा **उत्तराखण्ड जेल्स एसोसिएशन** ने अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से कारागारों में सृजित बंदीरक्षक का ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर 2000, प्रधान बंदीरक्षक ग्रेड पे 2000 के स्थान पर 2400, उप कारापाल ग्रेड पे 4200 के स्थान पर 4600, कारापाल ग्रेड पे 4200 के स्थान पर 4800 तथा शिक्षा अध्यापक का ग्रेड पे 2000 के स्थान पर 4200 उच्चीकृत किये जाने की मांग की गई है।

कारागार के प्रशासनिक विभाग ने अपनी संस्तुति में यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में बंदीरक्षक का ग्रेड वेतन 1900 से 2000 तथा प्रधान बंदीरक्षक का वेतन ग्रेड पे 2000 से 2400 में उच्चीकृत करते हुए दिनांक 1–1–2006 से काल्पनिक रूप से एवं दिनांक 1–12–201008 से वास्तविक रूप से दिया गया है। इसी प्रकार उप कारापाल का वेतन ग्रेड पे 4200 से 4600 तथा कारापाल का वेतन ग्रेड पे 4200 से 4800/– दिनांक 23–06–2011 से प्रदान किया गया है। उक्त से अवगत कराते हुए प्रशासनिक विभाग ने उत्तराखण्ड कारागार के बंदीरक्षको, प्रधान बंदीरक्षकों, उप कारापाल एवं कारापाल की शैक्षिक योग्यता व कार्य एवं दायित्व उत्तर प्रदेश के कारागार कामिकों के समान होने के दृष्टिगत तद्अनुसार वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की है।

उत्तराखण्ड जेल्स एसोसिऐशन ने यह भी अवगत कराया गया है कि कारागार के बदींरक्षक तथा पुलिस विभाग के कान्सटेबल, प्रधान बंदीरक्षक तथा हेड कान्सटेबल, पुलिस उप निरीक्षक तथा उप कारापाल व पुलिस निरीक्षक तथा कारापाल की शैक्षिक योग्यता एक समान है तथा कारागार कार्मिकों की पुलिस कर्मियों की भॉति 24X7 संवेदनशील ड्यूटी है। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग में आरक्षी एवं कारागार विभाग में बंदीरक्षक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया एवं शैक्षिक अर्हता समान है। यह भी अवगत कराया गया कि वन विभाग में वन रक्षक का ग्रेड वेतन 1900 को उच्चीकृत कर पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के समान ग्रेड वेतन 2000 दिनांक 14 मार्च, 2016 से कर दिया गया है तथा वन रक्षकों की शैक्षिक योग्यता पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के समान इण्टरमीडिएट रखी गई है। इसी प्रकार परिवहन विभाग में भी प्रवर्तन सिपाही के ग्रेड वेतन 1800 को उच्चीकृत कर 2000 तथा प्रवर्तन पर्यवेक्षक के ग्रेड वेतन 1900 को संशोधित कर 2400 दिनांक 24 फरवरी, 2016 से किया गया है एवं प्रवर्तन सिपाही की शैक्षिक योग्यता सीधी भर्ती के पदों के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट की गई है। यह भी अवगत कराया गया है कि आबकारी विभाग में दिनांक 15 जनवरी, 2016 से आबकारी सिपाही का ग्रेड वेतन 1900 से उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 2000 तथा प्रधान आबकारी सिपाही का ग्रेड वेतन 2000 से 2400 किया जा चुका है एवं सीधी भर्ती के पदों की शैक्षिक योग्यता पुलिस विभाग के कांस्टेबल के समान इण्टरमीडिएट रखी गई है।

उत्तराखण्ड कारागार में ग्रेड पे 1900 के बंदीरक्षक ए0सी0पी0 के तहत 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त तथा पदोन्नति की स्थिति में 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रधान बंदीरक्षक का ग्रेड पे 2000 पाते हैं। बंदीरक्षक से प्रधान बंदीरक्षक के पद पर पदोन्नति अथवा ए0सी0पी0 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला लाभ मात्र 100 रूपये का होता है। उत्तराखण्ड कारागार विभाग में उप कारापाल एवं कारापाल का वेतन बैण्ड एक समान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 तथा उप कारापाल को वर्षों बाद कारापाल पद पर मिलने वाली पदोन्नति में कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है।

उत्तराखण्ड जेल्स एसोसिएशन ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 15.9.2016 में केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा दिल्ली जेल स्टाफ के सम्बन्ध में की गई निम्नलिखित संस्तुतियों को भी इंगित किया है।

"Hence in view of the historical parity and recommendations of several committees the demand for higher pay for the Delhi Prison staff seems justified. The Commission therefore recommends parity in pay with corresponding posts in Delhi Police/CAPFs."

इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय दिनांक 29/30 अगस्त, 2016 अनुसार यह स्पष्ट है कि केंद्रीय वित्त आयोग की उक्त वर्णित अंश का अभी परीक्षण होना बाकी है और पदनाम कर समतुल्यता का निर्धारण करने के उपरान्त उच्चीकरण की कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से समतुल्यता निर्धारण करने सम्बन्धी कोई आदेश अभी नहीं हुआ है।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार कारागार विभाग के बंदीरक्षक, प्रधान बंदी रक्षक, उप कारापाल व कारापाल पदों की राज्य में गृह विभाग के अन्तर्गत विभिन्न सवंर्गो के पदों के सापेक्ष अन्तर्विभागीय समकक्षता निर्धारित रहने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक विभाग की आख्या/संस्तुति का अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि बंदी रक्षक का पद ग्रेड वेतन 1900/– सीधी भर्ती का पद है। समता समिति की संस्तुतियों में इन्टर से पैरिटी का सिद्वान्त मान्य नहीं है। अतः बंदी रक्षक का वेतनमान पुलिस विभाग के कान्सटेबल के ग्रेड पे 2000/–के बराबर करने का आधार नहीं है।

कारापाल का पद उप कारापाल के पद से शतप्रतिशत पदोन्नति का पद है। दोनों पदों का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200/– है। संवर्ग में पदोन्नति के पद का वेतनमान और जिस पद से इसमें पदोन्नति होनी है, उस पद का वेतनमान बाराबर होना, प्रथम दृष्टया विसंगति का प्रकरण है। अतः कारापाल का वेतनमान ग्रेड वेतन 4600/– किये जाने पर अन्य पहलुओं व पड़ने वाले प्रभावों का सम्यक परीक्षण करते हुए राज्य सरकार विचार कर सकती है।

विभाग ने एवं संघ ने यह भी अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड कारागार कर्मियों की सेवा शर्ते एवं दायित्व उत्तर प्रदेश के कारागार कर्मियों की भॉति एक समान हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने वहॉ के कारागार कर्मियों के वेतनमान उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के

विभिन्न पदों से समकक्षता स्थापित करके वेतनमान तद्अनुसार समान किया है। यद्यपि समता समिति के मूलभूत सिद्वान्त में एक राज्य के संवर्ग विशेष के वेतनमानों की दूसरे राज्य के समकक्ष संवर्ग के वेतनमानों से समतुल्यता तथा एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से इन्टर से पैरिटी का सिद्वान्त मान्य नही है, तथापि समिति के सज्ञान में कतिपय सवंर्गों के वेतनमान समतुल्यता के सिद्वान्त पर उत्तर प्रदेश के आधार पर उच्चीकृत किये जाने के दृष्टांत हैं। अतः राज्य सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश में लिए गये निर्णयों को उत्तराखण्ड में लागू करने पर, पड़ने वाले प्रभावों का समुचित आकलन करके एकरूप मानक नीति बनाकर सापेक्षता/समतुल्यता के सिद्वान्त पर विचार कर सकती है।

संवर्ग : शिक्षा अध्यापक

एसोसिएशन द्वारा कारागार विभाग में शिक्षा अध्यापक का ग्रेड वेतन 2000 से उच्चीकृत कर उत्तर प्रदेश कारागार में शिक्षा अध्यापक के समान ग्रेड पे 4200 करने की मांग की गई है। यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में वेतन समिति (1997–99) के 16वें प्रतिवेदन के अनुसार कारागार विभाग में नियुक्त अध्यापकों के कार्य को समाप्त करते हुए कारागार विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति भविष्य में शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। तदानुसार उत्तर प्रदेश में निर्गत आदेश दिनांक 25 मई, 2004 द्वारा कारागार विभाग में शिक्षकों का वेतनमान कदाचित उच्चीकृत किया गया है। उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बैण्ड भी उच्चीकृत करते हुए वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 का लाभ 01.01.2006 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 01.04. 2009 से वास्तविक रूप से दे दिया जाने को भी अवगत कराया गया है। अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड के जेल के लिए शिक्षा अध्यापक के दो पद सृजित हैं जिसमें से एक भरा हुआ है व एक रिक्त है।

अतः कारागार विभाग में शिक्षकों के पद को मृत संवर्ग करने व भविष्य में यथा आवश्यकता शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति/तैनाती की व्यवस्था पर विचार करने की संस्तुति की जाती है। करागार विभाग के शिक्षकों के कार्य के सम्बन्ध में वार्ता में यह जानकारी हुई की कदाचित इनका शैक्षणिक कार्य शिक्षा विभाग के शिक्षकों की भॉति नहीं है। अन्य राज्य से समता एवं राज्य में अन्य संवर्ग से इन्टर से पैरिटी का सिद्वान्त मान्य नहीं है। राज्य सरकार इस पद को मृत संवर्ग का घोषित करके भविष्य में इस पद को शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरने पर भी विचार कर सकती है।

29–लोक निर्माण विभाग

संवर्ग : सर्वेयर

लो0नि0वि0 नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सर्वेयर के वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 2400 की मांग की गई है। लोक निर्माण अनुभाग–1 की सूचना दिनांक 14.6.2016 अनुसार सर्वेयर, रोलर फोरमैन, मैकेनिक व वर्क सुपरवाईजर पद समूह 'घ' संवर्ग के हैं। निर्धारित प्रारूप पर तैयार की गई विभागीय सूचना अनुसार सर्वेयर का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है तथा इनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के साथ सर्वेयर ट्रेड में आई0टी0आई0 द्वारा प्रदत्त दो वर्षीय प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित ट्रेड में 05 वर्ष का अनुभव है। संघ द्वारा यह भी अवगत कराया है कि पांचवे वेतनमान में सर्वेयर का वेतनमान रू0 2750–4400 स्वीकृत था जबकि वर्क एजेंट का वेतनमान रू0 2610–3540 था। वर्तमान में वर्क एजेंट का ग्रेड वेतन सर्वेयर से अधिक होने के आधार पर विसंगति होना कहा है और इसे सुधारने की आवश्यकता इंगित की गई है। सर्वेयर के कुल 05 पद सृजित बताये गये, जिसके सापेक्ष 03 कार्मिक कार्यरत हैं। यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ग्रेड वेतन पुनरीक्षित किया जा चुका है परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में मात्र वर्क एजेन्ट पद का ग्रेड वेतन रू0 2400 किया गया है। वर्क एजेंट एवं सर्वेयर के कर्तव्य दायित्व एक समान बताए हैं।

यह बताया है कि लोक निर्माण विभाग में वर्क एजेंट का ग्रेड वेतन रू0 2000 से बढ़ाकर ग्रेड वेतन 2400 स्वीकृत किया गया है। यह भी बताया गया कि वर्क एजेंट के पद से वर्क सुपरवाइजर/सर्वेयर के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। यह इंगित किया है कि उत्तर प्रदेश में वर्क सुपरवाइजर का ग्रेड वेतन 2800 कर दिया गया है तथा शासनादेश संख्या–4, दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 द्वारा सर्वेयर का ग्रेड वेतन भी रू0 1900 से बढ़ाकर ग्रेड वेतन रू0 2400 कर दिया गया है जबकि उत्तराखण्ड में वर्क सुपरवाइजर का ग्रेड वेतन 2000 है। वर्क एजेंटों का ग्रेड वेतन 2400 तथा वर्क सुपरवाइजर/सर्वेयर के पदों पर ग्रेड वेतन कम होने की स्थिति के आधार पर सर्वेयर का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 किये जाने की मांग की गई है।

यहां उल्लेखनीय है कि कदाचित चतुर्थ वेतनमानों के अधीन सर्वेयर पद का वेतनमान 825–1200 था जो पंचम वेतनमानों में रू0 2750–4400 और 01.01.2006 से वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1800 अनुमन्य किया गया था और कालान्तर में दिनांक 12.2.2014 के शासनादेश से ग्रेड वेतन 1800 से बढ़ाकर रू0 1900 कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में 26.10.2015 को निर्गत शासनादेश अनुसार सर्वेयर का ग्रेड वेतन 2400 में उच्चीकृत हो जाने के आधार पर उत्तराखण्ड में भी ग्रेड वेतन उच्चीकरण रू0 2400 करने की मांग है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कदाचित उत्तराखण्ड में अभी वर्क सुपरवाईजर को ग्रेड वेतन 2000 तथा सर्वेयर का ग्रेड वेतन 1900 (दोनों का वेतनमान 5200–20200) है। समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं शासन द्वारा अपनाये गये सिद्धान्त

अनुसार राज्य के पदों की समतुल्यता (Parity) केंद्र के पदों से अन्य सभी बातों यथा अर्हताएं, भर्ती स्रोत व चयन प्रक्रिया आदि की समानता पर मानी जाती है और राज्य में एक संवर्ग/पद की दूसरे संवर्ग/पद से समतुल्यता मान्य नहीं है। अन्य राज्यों से भी समतुल्यता अथवा तुलना के आधार पर किसी पद विशेष के वेतनमान उच्चीकृत करने का भी कोई सिद्धान्त नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव के पत्र संख्या 200, दिनांक 14 सितम्बर, 2016 में भी राज्य सरकार का स्पष्ट अभिमत समिति को संसूचित किया गया है।

प्रकरण के सम्बन्ध में विभिन्न सम्बन्धित विवरण/अभिलेख व नियमावलियां उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन स्थितियों में समिति द्वारा प्रकरण पर विचार करने में कठिनाई है। यदि वर्क एजेंट से पदोन्नति सर्वेयर के पद पर होती है और पहले इनके वेतनमान में अंतर इस दृष्टि से रहा है तो वर्क एजेन्ट का ग्रेड वेतन उच्चीकरण के फलस्वरूप सर्वेयर पद के ग्रेड वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में सेवा नियमावली सहित विभिन्न पहलुओं एवं पड़ने वाले प्रभावों पर सम्यक परीक्षण व विचारोपरान्त राज्य सरकार कार्यवाही कर सकती है। जहॉ तक उत्तर प्रदेश में वेतनमान संशोधित किये जाने का प्रश्न है, यद्यपि समता समिति के मूलभूत सिद्धान्त में एक राज्य के संवर्ग विशेष के वेतनमानों की दूसरे राज्य के समकक्ष संवर्ग के वेतनमानों से समतुल्यता तथा एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से इन्टर से पैरिटी का सिद्धान्त मान्य नही है, तथापि समिति के सज्ञान में कतिपय सवंर्गों के वेतनमान समतुल्यता के सिद्धान्त पर उत्तर प्रदेश के आधार पर उच्चीकृत किये जाने के दृष्टांत हैं। अतः राज्य सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश में लिए गये निर्णयों को उत्तराखण्ड में लागू करने पर, पड़ने वाले प्रभावों का समुचित आकलन करके एकरूप मानक नीति बनाकर सापेक्षता/समतुल्यता के सिद्धान्त पर विचार कर सकती है। इस सम्बन्ध में वर्क चार्ज से इन पदों पर संविलियन नियमावली के प्राविधान भी देखे जाने चाहिए।

संवर्ग : तकनीकी संवर्ग

उत्तराखण्ड इंजीनियर्स फैडरेशन तथा उत्तराखण्ड डप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में अधीक्षण अभियंता का वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 7600 है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधीक्षण अभियंता का वेतनमान उच्चीकृत कर 37400–67000 ग्रेड वेतन 8700 किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के कतिपय निगमों में अधीक्षण अभियंता को 37400–67000 ग्रेड वेतन 8700 दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या 526 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद का वेतनमान 37400–67000 ग्रेड वेतन 8700 किया जा चुका है।

प्रकरण पर प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग से चर्चा की गई। समिति द्वारा भी प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। **यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य अथवा प्रदेश के अन्य संवर्गों से तुलनीयता का कोई औचित्य नहीं है, तथापि राज्य सरकार के कर्मियों की वेतन के सम्बन्ध में**

केंद्र सरकार से पूर्व स्थापित समरूपता के आधार पर अधीक्षण अभियंता का वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 7600 को वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 8700 में उच्चीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संवर्ग : लोक निर्माण विभाग अमीन

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन संघ द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष 1986 एवं वर्ष 2016 में की गई वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमीनों का ग्रेड वेतन रू0 2400 किये जाने का प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है जो अभी लम्बित है। संघ का कहना है कि दिनांक 6.12.1989 की समता समिति की रिपोर्ट अनुसार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को वाहन चालकों सहित वेतनमान रू0 825–1200 के स्थान पर 950–1500 स्वीकृत किया गया परन्तु दिनांक 16.3.1989 को केवल वाहन चालकों वाले चार प्रकरणों को छोड़कर अन्य पदधारकों को रू0 825–1200 का वेतनमान अनुमन्य किया गया। इस क्रम में लोक सेवा अधिकारण एवं एवं मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में कतिपय पदों (इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन) के सम्बन्ध में ग्रेड वेतन 2400 में उच्चीकृत कर दिया है परन्तु अमीनों के प्रकरणों में भाग एक मामले में निर्णय लिया है एवं शेष प्रकरणों को नजरअंदाज किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त संघ द्वारा यह कहा है कि समय–समय पर वर्क एजेंटों को प्रशिक्षण प्राप्त करवाकर अमीन के पद पर समायोजित/पदोन्नति किया जाता रहा है और दिनांक 01.02.2016 के शासनादेश से वर्क एजेन्ट का ग्रेड वेतन उच्चीकृत कर रू0 2400 कर दिया गया है परन्तु अमीनों का ग्रेड वेतन 2400 में उच्चीकृत करने का निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अमीनों/सर्वेयर का ग्रेड वेतन रू0 1900 से 2400 में उच्चीकृत कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा नियमावली, 2016 अनुसार लोक निर्माण विभाग में अमीन की भर्ती का स्रोत 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 20 प्रतिशत वर्क एजेंट, मेट, बेलदार, नील मुद्रक आदि से विहित अर्हताओं के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की व्यवस्था है। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर संविलियन नियमावली 2014 में संविलियन हेतु पात्रता शर्तें इंगित है।

जहां तक लोक सेवा अधिकरण/मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में शेष प्रकरणों में निर्णय लिये जाने सम्बन्धी मांग है उस सम्बन्ध में समिति द्वारा विचारण करना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि शासन ही इस सम्बन्ध में यथास्थिति सुविचारित निर्णय कर सकते हैं। समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य में लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग/पद से दूसरे संवर्ग/पद की तुलना/समतुल्यता नहीं की जा सकती है। इस दृष्टि से यह प्रकरण विसंगति का नहीं है। कदाचित विभाग में ही वर्क एजेन्ट का ग्रेड वेतन रू0 2400 में उच्चीकृत किया जा चुका है और अमीन के पदों पर कतिपय अन्य पदों, जिसमें

वर्क एजेन्ट का पद भी है, से सविलियन नियमावली 2014 तथा अमीन सेवा नियमावली 2016 के आलोक में उच्च ग्रेड वेतन से न्यून ग्रेड वेतन पर संविलियन/पदोन्नति की स्थिति जो संघ द्वारा इंगित की है वह शासन स्तर पर कतिपय चयन (selective) आधार पर वेतन उच्चीकरण करने के कारण उत्पन्न होना परिलक्षित है जिससे इस प्रकार की आपसी वेतन सापेक्षता की स्थितियां हुई हैं। इनके सम्बन्ध शासन द्वारा सुविचारित नीतिगत/प्रशासनिक निर्णय लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में अमीन के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत हो जाने के आधार पर उत्तराखण्ड में ग्रेड वेतन उच्चीकरण का ठोस आधार नहीं है क्योंकि अन्य प्रदेशों से पदों के वेतन की तुलना/समतुल्यता का सिद्धांत मान्य नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग नियमित वर्कचाज कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग में कार्यरत सर्वेयर का ग्रेड वेतन रू0 2400 किये जाने की मांग की है। यह कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में लो0नि0वि0 के अमीन/सर्वेयर/रोलर फोरमैन/मैकेनिक तथा वर्क सुपरवाईजर के पदों का ग्रेड वेतन पुनरीक्षित किया जा चुका है और उत्तराखण्ड राज्य में मात्र वर्क एजेन्टों का ग्रेड वेतन 2400 किया गया है। यह भी कहा है कि पांचवें वेतनमान में सर्वेयर का वेतनमान रू0 2750–4400 था जबकि वर्क एजेन्ट का वेतनमान रू0 2610–3540 था। विभागीय प्रस्ताव अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के आधार पर ग्रेड वेतन 2400 करने की संस्तुति की गई है।

राज्य सरकार द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य से तुलना का कोई सिद्धांत वर्तमान में प्रतिपादित नहीं है। इसके अतिरिक्त दिनांक 25 मई, 2016 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अमीन सेवा नियमावली, 2016 में अमीन पद का ग्रेड वेतन 2000 ही रखा गया है। स्पष्टतः यह वेतन विसंगति का प्रकरण न होकर उच्चीकरण से सम्बन्धित है, जो समिति के विचार क्षेत्र में नहीं है।

एक संवर्ग/पद से दूसरे संवर्ग/पद की तुलना अथवा समतुल्यता मान्य नहीं है और दूसरे राज्य से भी वेतन की तुलना नीं की जा सकती है। शासन द्वारा चयन (selective) आधार पर पदों का उच्चीकरण किया है जिस कारण पदों के मध्य आपसी वेतन सापेक्षता व अन्य प्रकार की वेतन उच्चीकरण की मांग बहुतायत में प्राप्त हुई है। जहॉ पर उत्तर प्रदेश की समतुल्यता के आधार पर उच्चीकरण की मांग है, उसके समयक प्रभाव का आंकलन करते हुए राज्य सरकार ऐसे प्रकरणों में नीतिगत/प्रशासनिक निर्णय लेने पर विचार कर सकता है।

संवर्ग : कनिष्ठ अभियंता

लोक निर्माण विभाग से शासन को प्रेषित एवं वित्त विभाग से समिति को संदर्भित इस प्रकरण में कनिष्ठ अभियंताओं को ग्रेड वेतन 4600 का लाभ 1.1.2006 से अनुमन्य करने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 1658/III(1)/13–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा लोक निर्माण

विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं का ग्रेड वेतन 4200 से 4600 उच्चीकृत किया गया है जिसका लाभ 01 अक्टूबर, 2012 से परिकल्पित रूप (notionaly) तथा दिनांक 01 मार्च, 2013 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किया गया है। यह इंगित किया गया है कि कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त पालीटैक्निक से इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा तथा मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन) के पद हेतु शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से 02 वर्षीय प्रमाण पत्र है। साथ ही कहा है कि कनिष्ठ अभियंता (प्राविधिक) का पद मानचित्रकार की 10 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त पदोन्नति का पद है। दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.09.2012 तक कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक/सिविल/विद्युत यांत्रिक एवं मानचित्रकार को समान वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य होने की स्थिति के कारण कनिष्ठ अभियंता (प्राविधिक) का पद मानचित्रकार से पदोन्नति का पद होने से उच्च स्तर का पद होने के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतनमान में वेतन विसंगति होना कहा है।

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.09.2012 तक कनिष्ठ अभियंता एवं मानचित्रकार का ग्रेड वेतन एक समान रू0 4200 रहा है। मानचित्रकार की प्रोन्नति कनिष्ठ अभियंता (प्राविधिक) के पद पर 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त किये जाने की व्यवस्था है। प्रश्नगत अवधि में दोनों पदों का ग्रेड वेतन समान हो जाने के कारण विसंगति उत्पन्न होना कहते हुए इसे दूर करने की मांग की गई है। सुनवाई हेतु आयोजित बैठक दिनांक 8.9.2016 में महासंघ के उपस्थित प्रतिनिधियों ने कनिष्ठ अभियंता पद का ग्रेड वेतन दिनांक 1.1.2006 से रू0 4600 करने की मांग रखी गई। यह अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 1793/11–2009–01(28)/2005 दिनांक 8.7.2009 द्वारा मानचित्रकार का वेतनमान रू0 5000–8000 दिनांक 1.4.2001 से अनुमन्य किया गया जोकि छठे पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1.1.2006 से वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य हुआ। मानचित्रकार की शैक्षिक योग्यता आई0टी0आई0 से 2 वर्षीय प्रमाण पत्र बताई गई। इस प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) का पद मानचित्रकार से पदोन्नति का पद होने की व्यवस्था के दृष्टिगत कनिष्ठ अभियंता का पद उच्च स्तर का पद है। यह भी अवगत कराया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता को 01.01.2006 से वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 दिया गया तथा कालान्तर में शासन ने इसे दिनांक 1.10.2012 से परिकल्पित (notionaly) एवं दिनांक 1.3.2013 से वास्तविक रूप से ग्रेड वेतन रू0 4600 किया गया है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि सिंचाई विभाग के शासनादेश दिनांक 8.7.2009 में यह इंगित किया गया है कि सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन वेतनमान रू0 4000–6000 की समकक्षता भारत सरकार के ड्राफ्टमैन ग्रेड–2 वेतनमान रू0 5000–8000 से स्थापित करते हुए वेतनमान रू0 4000–6000 (नये वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000) को उच्चीकृत करते हुए वेतनमान रू0 5000–8000 (नये वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) अनुमन्य किया जाता है और यह आदेश दिनांक 1.4.2001 से प्रभावी किया गया है।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया। संदर्भित प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है बल्कि वेतन उच्चीकरण का लाभ पिछली तिथि से दिये जाने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में यह अवलोकनीय है कि यद्यपि वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता का ग्रेड वेतन राज्य सरकार द्वारा उच्चीकृत कर 4600 कर दिया गया है और वेतन उच्चीकरण का वास्तविक लाभ किस तिथि से दिया जाय/गया है, यह राज्य सरकार के ही क्षेत्राधिकार का विषय है, तथापि यह विशिष्ट रूप से ध्यान दिये जाने योग्य है कि कनिष्ठ अभियन्ता पद सहित कतिपय पदों के वेतन सरकार द्वारा केंद्र के पदों की समतुल्यता के लागू सिद्धांत, जिसे मुख्य सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 200 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 में भी स्पष्ट इंगित किया गया है, से इतर उच्चीकृत किये हैं। इस स्थिति के दृष्टिगत यह प्रकरण केंद्र सरकार में अनुमन्य पदनाम/वेतनमान की समरूपता से भिन्न चयन (selective) आधार पर वेतन उच्चीकरण के कारण उत्पन्न है जिस सम्बन्ध में समिति के स्तर पर किसी प्रकार की संस्तुति देने का औचित्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना मान्य नहीं है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा उठाये गये प्रकरण में वेतन विसंगति समिति द्वारा टिप्पणी/संस्तुति अन्यत्र की गई है अतः पुनः पृथक से संस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है।

संवर्ग : कम्प्रेशर/सी0सी0 मिक्सर/स्टोन क्रेशर/मैक्सोल ऑपरेटर

लोक निर्माण विभाग से शासन को प्रेषित एवं वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के पत्र संख्या 185/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 के क्रमांक 03 पर लोक निर्माण विभाग के कम्प्रेशर/सी0सी0 मिक्सर/स्टोन क्रेशर/मैक्सोल ऑपरेटर पदों का ग्रेड वेतन 1800 से 1900 का प्रकरण समिति को संदर्भित किया गया है। विभाग द्वारा तैयार की गई सूचना अनुसार भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती, शैक्षिक योग्यता कक्षा–8 तथा कार्यदायित्व मशीनों की मरम्मत व देखभाल कार्य इंगित किया है एवं तुलना समूह 'घ' अंतर्गत 'मेट' पद से की गई है। मेट पद का भर्ती का स्रोत पदोन्नति से बताया है। विभाग द्वारा यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के आधार पर उत्तराखण्ड में भी मेट का ग्रेड वेतन रू0 1800 से 1900 में उच्चीकृत किया गया है। इसी आधार पर वर्णित पदों का ग्रेड वेतन उच्चीकरण करने हेतु विवरण प्रेषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना अनुमन्य नहीं है। यह प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : वैयक्तिक सहायक/अमीन/सर्वेयर/रोलर फोरमैन/मैकेनिक/वर्क सुपरवाईजर

वित्त विभाग के पत्र संख्या 152/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 15 जुलाई, 2016 के माध्यम लोक निर्माण विभाग में वैयक्तिक सहायक/अमीन/सर्वेयर/रोलर

फोरमैन/मैकेनिक/वर्क सुपरवाईजर पदों के वेतनमान उच्चीकरण का प्रकरण संदर्भित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार इंगित हुआ है–

क्रमांक	पदनाम	वर्तमान इंगित वेतनमान/ ग्रेड वेतन	प्रस्तावित वेतनमान/ ग्रेड वेतन
1.	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
2.	अमीन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
3.	सर्वेयर	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
4.	रोलर फोरमैन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
5.	मैकेनिक	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
6.	वर्क सुपरवाइजर	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800

वैयक्तिक सहायक का वेतनमान कतिपय विभागों/संस्थाओं यथा परिवहन विभाग, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, न्याय विभाग में 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 होने के आधार पर लोक निर्माण विभाग में भी वैयक्तिक सहायक का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 से ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकृत करने की मांग वर्णित तुलना के आधार पर की गई है। उत्तराखण्ड वैयक्तिक सहायक/वैयक्तिक अधिकारी महासंघ द्वारा भी इस प्रकार की मांग उठाई गई है। चूंकि यह प्रकरण सभी विभागों/संस्थाओं के वैयक्तिक सहायक संवर्ग से सम्बन्धित है अतः इस सम्बन्ध में प्रथक से समिति द्वारा विचार कर अन्यत्र संस्तुति की गई है।

सर्वेयर पद के वेतन उच्चीकरण की मांग के सम्बन्ध में भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में शासनादेश दिनांक 26.10.2015 द्वारा ग्रेड वेतन 1900 से 2400 में उच्चीकृत किया जा चुका है। यह प्रकरण सर्वेयर संघ से भी प्राप्त हुआ है, जिस पर समिति का अभिमत ऊपर पूर्व में दिया जा चुका है।

रोलर फोरमैन पद का वेतन उच्चीकरण सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में शासनादेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा ग्रेड वेतन 1900 को उच्चीकृत कर 2800 किया जा चुका है। अन्य राज्य से वेतन उच्चीकरण हेतु तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं

है। उल्लेखनीय है कि कदाचित शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा उत्तराखण्ड में रोलर फोरमैन का ग्रेड वेतन 1800 से 2000 किया गया है। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।

मैकेनिक पद का ग्रेड वेतन 1900 से 2400 किये जाने के सम्बन्ध में कहा है कि उत्तर प्रदेश में शासनादेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा ग्रेड वेतन 2400 किया जा चुका है। अन्य राज्य से तुलना का सिद्धान्त इस सम्बन्ध में मान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि कदाचित शासनादेश दिनांक 12.2.2014 द्वारा मैकेनिक का ग्रेड वेतन 1800 से 1900 किया गया है। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।

वर्क सुपरवाईजर पद का ग्रेड वेतन 2000 से 2800 किये जाने की मांग के सम्बन्ध में यह आधार इंगित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा वर्क सुपरवाईजर का ग्रेड वेतन 1900 से उच्चीकृत कर 2800 किया जा चुका है। यह भी इंगित किया गया है कि 05 वर्ष की सेवा वाले वर्क एजेन्ट का ग्रेड वेतन 2400 हो जाने से पदोन्नति का पद न्यून ग्रेड वेतन का हो गया है। समिति का मत है कि अन्य प्रदेश से वेतन की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं होने से प्रकरण विचारणीय नहीं है। किंचित पदों का चयन आधार (selective basis) पर उच्चीकरण करने के कारण पदों की आपसी सापेक्षता प्रभावित होना इस उदाहरण से परिलक्षित हो रहा है जहां पदोन्नति का पद न्यून ग्रेड वेतन में हो गया है। समग्र दृष्टि से परीक्षण कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को ही निस्तारण हेतु निर्णय लेना चाहिए।

उ0प्र0 के आधार पर कतिपय मामलों में वेतन उच्चीकरण किये गये संज्ञान में आये हैं। समिति का मत है कि उ0प्र0 के आधार पर वेतन उच्चीकरण का मामला राज्य सरकार के स्तर का नीतिगत विषय है जिस सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं व अन्य प्रभावों, विभिन्न संवर्गों की आपसी सापेक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव व अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत समग्रता में सम्यक परीक्षण कर ही निर्णय लिया जाना चाहिए।